

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय

दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 7406/पंग्राविवि/22/2012
प्रति,

रायपुर, दिनांक 06/10/2012

कलेक्टर,

सह अध्यक्ष WCDC,

जिला— रायपुर, दुर्ग, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सरगुजा, धमतरी, सुकमा, मुंगेली,
सूरजपुर, बेमेतरा, गरियाबंद, कोण्डागांव, बलौदाबाजार एवं बालोद,
छत्तीसगढ़

विषय:— एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) परियोजना अंतर्गत जलग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केंद्र (WCDC) के सदस्यों को संविदा नियुक्ति के संबंध में दिशा-निर्देश ।

संदर्भ:— इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक 1704/पंग्राविवि/22/2012 दिनांक 21.02.2012

—00—


विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन द्वारा एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) अंतर्गत 25000 हेक्टेयर से कम उपचार क्षेत्र के जिले हेतु जलग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केंद्र (WCDC) के स्वीकृत पदों पर संविदा नियुक्ति के संबंध में दिशा-निर्देश के परिशिष्ट-1 के कंडिका-1 में दी गई सारणी के पंक्ति क्रमांक-1 व 2 से संबंधित स्तंभ क्रमांक-3 में "न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता निर्धारण" में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:—

क्र.	पदनाम	न्यूनतम एवं वांछनीय अर्हता
1	2	3
1	तकनीकी विशेषज्ञ	न्यूनतम—कृषि अभियांत्रिकी / कृषि / उद्यानिकी / वानिकी / पशुपालन / भू-विज्ञान में स्नातकोत्तर / सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री वांछनीय—मृदा एवं जल संरक्षण / वानिकी / शुष्कभूमि कृषि / उद्यानिकी / जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता
2	लेखापाल	न्यूनतम—मान्य संस्थाओं से कम्प्यूटर में डिप्लोमा अथवा डिग्री। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-9-4/2005/1/3, दिनांक 07 जून 2007 में उल्लेखित संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण को ही मान्य किया जावेगा। वांछनीय—किसी भी संस्थान से टेली में न्यूनतम 06 माह का डिप्लोमा एवं किसी भी चार्टर्ड एकाउंटेंट (C.A.) के अधीन आर्टिकलसीप का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता।

यह आदेश पश्चात्पूर्ती नियुक्तियों पर ही लागू होगा। दिशा-निर्देश की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेगी।

(अपर मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित)

छ0ग0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(जे.एन. अवस्थी)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

7h07


//2//

पृ. क्रमांक /पंग्राविवि/22/2012

रायपुर, दिनांक 10/10/2012

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, डी.के.एस. भवन मंत्रालय, रायपुर।
3. विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय, विकास भवन, सिविल लाईन, रायपुर।
4. संभाग आयुक्त, राजस्व संभाग, बिलासपुर/रायपुर/बस्तर/सरगुजा, छत्तीसगढ़।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, SLNA, विकास आयुक्त कार्यालय, रायपुर।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी सह परियोजना प्रबंधक, WCDC जिला पंचायत-.....
छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।
7. परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सह परियोजना प्रबंधक, WCDC
जिला..... छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।



अपर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग